## प्रथम सूचना रिपोर्ट

## (अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. fo	जेला भ्र0नि0 ब्यूरो, झालावाड थाना :— प्र0सू०रि0 सं	प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :— 2022 दिनांक
(	(2) अधिनियम	धाराऐं
(	(3) अधिनियम	<u></u> धाराऐं
(	(4) अन्य अधिनियम एवं	धाराऐं
(र (र 4. स् 5. ह वी (र (र 6. ि	नूचना कैसे प्राप्त हुई— (लिखित / मीखिक गटनास्थल का ब्यौरा :– क) थाने से दिशा एवं दूरी —चौकी ए.सी.र गेट संख्या ख) पता:— समीर ई—मित्र की दुकान, बस	ः — 08.08.2022 समय :— 09.30 ए.एम. 343 समय <i>िः ५० PM</i>
(₹ (₹ (₹ (₹	खं) पिता / पति का नाम :— श्री अर्जुन रि ग) जन्म तिथि / उम्र :— 25 साल व) राष्टीयता — भारतीय	ने की तिथिजारी करने का स्थान जिला झालावाड़ (राज0)।
	घाटोली तहसील अकलेरा जिला झा राज0 अतिरिक्त चार्ज हल्का पटवार्र 2. श्री समीर अंसारी पुत्र श्री रईस अंर	मगोपाल जाति मीणा उम्र 38 साल निवासी ग्राम खेरखेड़ा थाना लावाड़ राज0 हाल रिजर्व पटवारी तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ हिल्का रमायदलपत तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ राज0 नारी जाति मुसलमान उम्र 24 वर्ष निवासी स्टेंट बैंक ऑफ इण्डिया जेला झालावाड़ राज0 (प्राईवेट व्यक्ति)
9. 7 10. 11.	चोरी हुई / लिखित सम्पति का कुल मूल्य	(यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)

महोदय,

हालात् घटना क्रम इस प्रकार है कि दिनांक 08.08.2022 को समय 09.30 ए.एम. पर परिवादी श्री पहलवान सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह जाति सौंधिया राजपूत उम्र 25 वर्ष निवासी सारंगाखेड़ा तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज0) ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पर स्वय उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पेश किया। परिवादी श्री पहलवान सिंह के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा उस पर स्वय के हस्ताक्षर होना बताया है तथा परिवादी ने मजमून दरियाफ्त पर बताया कि इस साल दो—तीन माह पूर्व श्री

प्रहलाद सिंह जी निवासी सारंगाखेड़ा वालों से खसरा नम्बर 1022/733, 303 तथा 38 के कुल रकबा में से लगभग सवा बीघा जमीन खरीदी थी। जिसका इन्तकाल उसकी भाभी श्रीमती श्याम् बाई पत्नि श्री बादर सिंह के नाम खुलवाने के लिये तहसीलदार पिड़ावा श्री महेश कुमार जी से 6-7 दिन पूर्व तहसील पिड़ावा जाकर मिला तथा इन्तकाल दर्ज कराने के लिये प्रार्थना पत्र पेश करने पर उनके द्वारा श्री राकेश मीणा हल्का पटवारी को प्रार्थना पत्र देने के लिये कहा तथा बताया कि एक-दो दिन में इन्तकाल खुल जायेगा। इन्तकाल खुलवाने के लिये श्री राकेश मीणा हल्का पटवारी से मिला तो उन्होंने इन्तकाल खोलने की एवज् में पांच हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की। मेरे द्वारा हाथा जोड़ी करने पर उन्होंने तीन हजार रूपये रिश्वत राशि देने पर इन्तकाल दर्ज करने के लिये कहा तथा बोले कि तुम चक्कर काटते रहो जब तक तीन हजार रूपये रिश्वत राशि के नहीं दोगे तब तक तुम्हारा इन्तकाल का काम नहीं होगा। श्री राकेश मीणा हल्का पटवारी तहसील कार्यालय के सामने ही ई-मित्र की दुकान चलाने वाले श्री समीर दलाल के मार्फत भी रिश्वत लेता है। मैं मेरी भाभी श्रीमती श्यामू बाई के नाम इन्तंकाल दर्ज कराने के जायज काम के लिये श्री राकेश मीणा हल्का पटवारी को रिश्वत राशि के तीन हजार रूपये नहीं देना चाहता हूँ तथा पटवारी जी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। मेरी भाभी श्रीमती श्यामू बाई ने ट्रेप कार्यवाही कराने के लिये मुझे अधिकृत कर रखा है। मेरी पटवारी जी से कोई पुरानी रंजिश नहीं है तथा न ही रूपयों पैसों का कोई पुराना लेनदेन बकाया है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 7 की परिधि में आने पर दिनांक 08.08.2022 समय 10:00 एएम पर ही श्री गोपाल लाल हैड कॉनि0 नं0 26 से मालखाना में रखे हुए ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को निकलवाकर मन अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा चेक किया जाकर परिवादी श्री पहलवान सिंह को चालू बन्द करने की विधिवत् प्रक्रिया ऑपरेटिंग करना भलीभांति समझाकर सुपुर्द कर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु ब्यूरो कार्यालय के कॉनि0 श्री देवदान सिंह नं0 425 को निगरानी रखने हेतु परिवादी श्री पहलवान सिंह के साथ दोनों को आवश्यक हिदायत देकर अपनी-अपनी मोटरसाइकिलों से बजानिब रवाना कार्यालय तहसील पिड़ावा के लिये किया गया। फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की गयी। दिनांक 08.08. 2022 समय 02:25 पीएम पर श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 ब्यूरो कार्यालय में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के उपरान्त तहसील कार्यालय पिड़ावा से रवाना होकर मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर अपनी मोटरसाइकिल से ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का माननीय विशिष्ठ न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोटा में चालान पेश करने के उपरान्त कोटा से ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आने का इंतजार करता रहा। दिनांक 08.08.2022 समय 06:15 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माननीय विशिष्ठ न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोटा में चालान पेश करने के उपरान्त कोटा से खाना होकर ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पर उपस्थित आया। श्री देवदान सिंह कॉनि० 425 ने ब्यूरो कार्यालय में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर डिजीटल वाइस रिकॉर्डर पेश करते हुए उसने पूछने पर अवगत् कराया कि आपके निर्देशानुसार परिवादी श्री पहलवान सिंह की निगरानी हेतु हम दोनो ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर अपनी-अपनी मोटर साईकिलों से तहसील पिड़ावा के बाहर पहुंचे। तहसील पिड़ावा के बाहर की तरफ साईड में अपनी मोटर साईकिल खड़ी कर परिवादी श्री पहलवान सिंह को पुनः डिजीटल वाइस रिकॉर्डर को चालू बन्द करने की प्रक्रिया समझाकर आरोपी श्री राकेश मीणा पटवारी से रिश्वत मांग सत्यापन हेत् वार्तालाप को रिकॉर्ड करने हेतु आरोपी के पास तहसील कार्यालय पिड़ावा के अन्दर रवाना किया तथा स्वय अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी श्री पहलवान सिंह के वापिस आने का इन्तजार करने लगा। लगभग 15-20 मिनिट के बाद परिवादी श्री पहलवान सिंह अपनी मोटर साईकिल से मेरे पास वापिस आया। तथा परिवादी ने मुझे बताया कि श्री राकेश मीणा पटवारी तहसील कार्यालय में उसके कमरे में बैठा हुआ था तथा उस समय उसके पास श्री समीर दलाल भी बैठा हुआ था। मुझे देखते ही श्री राकेश मीणा व श्री समीर दलाल कमरे से बाहर साईड में तहसील कार्यालय की गेलेरी में आ गये। तथा उससे थोड़ी दूर खड़े श्री समीर दलाल को बुलाकर उसकी और इशारा करते हुए मुझसे कहा कि इसको तीन हजार रूपये दे देना। तीन हजार रूपये देने के बाद तुम मेरे पास आ जाना मैं तुमको शाम को ही अपलोड करके इन्तकाल अपडेट कर दूंगा। परिवादी ने मुझे तहसील पिडावा के बाहर ही डिजीटल वाइस रिकॉर्डर देते हुए बताया कि आरोपी श्री राकेश मीणा व श्री समीर दलाल से उसकी हुई वार्तालाप को उसने डिजीटल वाइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। इस तरह परिवादी श्री पहलवान सिंह के बताये अनुसार रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही हो गयी है। परिवादी श्री पहलवान सिंह ने बताया कि वह उसके साथ वापिस ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ नहीं चल सकता है क्योंकि उसे रिश्वत में दी जाने वाली राशि 3000 / - रूपये की व्यवस्था भी करनी है तथा वापिस आने में रात्रि हो जायेगी। परिवादी श्री पहलवान सिंह ने मुझे यह भी बताया कि आरोपी श्री राकेश मीणा व श्री समीर दलाल कल पिड़ावा में ही मौजूद रहेंगे तथा वह ट्रेप कार्यवाही कराने हेतु रिश्वत राशि की व्यवस्था कर प्रातः 9–10 बजे तक ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में रिश्वत राशि के साथ उपस्थित हो जावेगा। मेरे द्वारा परिवादी श्री पहलवान सिंह को अब तक की कार्यवाही के सम्बन्ध में गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर तहसील पिडावा से ही उसके गाँव के लिये रूखसत कर दिया था। श्री देवदान सिंह कॉनि० 425 द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस

अधीक्षक को सुपुर्द किये रिश्वत मांग सत्यापन सम्बन्धी रिकॉर्डेड वार्तालाप के डिजिटल वाइस रिकॉर्डर को सुरक्षित मालखाना रखने हेतु श्री गोपाल लाल हैड कॉनि० २६ को सुपुर्द किया गया। आईन्दा परिवादी श्री पहलवान सिंह व स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में कम्प्यूटर में डालकर वार्तालाप को सुना जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मुर्तिब की जावेगी। दिनांक 08.08.2022 समय 06:35 पीएम पर परिवादी श्री पहलवान सिंह ने कल दिनांक 09.08.2022 को ट्रेप कार्यवाही होने के सम्बन्ध में अवगत् कराया है अतः गोपनीय कार्यवाही हेतु अधीक्षण अभियन्ता जयपुर डिस्कॉम जिला झालावाड़ के नाम पत्रांक 954 दिनांक 08.08. 2022 मुर्तिब कर श्री शिवराज कानि० नं० 166 को देकर दिनांक 09.08.2022 को प्रातः 09:30 बजे गोपनीय कार्यवाहीं हेतु दो सरकारी गवाह भिजवाने के लिए पाबन्द कर उनके नाम व पद अवगत कराने के लिए कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जयपुर डिस्कॉम जिला झालावाड़ के लिए रवाना किया गया। दिनांक 08.08.2022 समय 07:10 पीएम पर श्री शिवराज कानि० नं० 166 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया तथा गोपनीय कार्यवाही हेतु कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (झा.वृ.)जयपुर डिस्कॉम जिला झालावाड़ के श्री श्याम बिहारी पारेता पुत्र श्री मुलचन्द पारेता जाति कलाल उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम / पोस्ट मोड़ी भीमसागर तहसील खानपुर थाना सारोला कलां जिला झालावाड़ हाल इलेक्ट्रिशियन-प्रथम, कार्यालय कार्मिक अधिकारी (झा.वृ.) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, झालावाड़ मो0नं0 8114418127 व श्री रोहित मामोडिया पुत्र श्री पुखराज मामोडिया जाति बलाई उम्र 30 वर्ष निवासी हाऊसिंग बोर्ड सिरोही हाल वाणिज्यिक सहायक–द्वितीय, कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस-शहरी) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, झालरापाटन जिला झालावाड़ मो०नं० 8740881907 को पाबन्द कर ब्यूरो कार्यालय में पाबन्द शुदा गवाहान का पत्रांक 2325 दिनांक 08.08.2022 मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपूर्द किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 09.08.2022 समय 09.30 एएम पर तलविदा दो स्वतंत्र गवाहान श्री श्याम बिहारी पारेता पुत्र श्री मूलचन्द पारेता जाति कलाल उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम/पोस्ट मोड़ी भीमसागर तहसील खानपुर थाना सारोला कलां जिला झालावाड़ हाल इलेक्ट्रिशियन-प्रथम, कार्यालय कार्मिक अधिकारी (झा.वृ.) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, झालावाड मो०नं० 8114418127 व श्री रोहित मामोडिया पुत्र श्री पुखराज मामोडिया जाति बलाई उम्र 30 वर्ष निवासी हाऊसिंग बोर्ड सिरोही हाल वाणिज्यिक सहायक-द्वितीय, कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस-शहरी) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, झालरापाटन जिला झालावाड़ मो०नं० 8740881907 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। जिनसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिचय प्राप्त कर की जाने वाली कार्यवाही से अवगत् करवाया गया। दिनांक 09.08.2022 समय 10:00 एएम पर परिवादी श्री पहलवान सिंह ब्यूरो कार्यालय मे उपस्थित आया व अवगत कराया कि वह अपने साथ रिश्वत मे दी जाने वाली रिश्वत राशि 3,000 रूपये लेकर आया है। परिवादी ने यह भी अवगत कराया कि आरोपी श्री राकेश मीणा हल्का पटवारी से पूर्व में हुई वार्ता अनुसार आज मोबाईल पर वार्ता कर रिश्वत राशि लेकर बुलाया है। परिवादी का ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री श्याम बिहारी पारेता इलेक्ट्रिशयन—प्रथम कार्यालय कार्मिक अधिकारी (झा.वृ.) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, झालावाड़ एवं श्री रोहित मामोडिया वाणिज्यिक सहायक-द्वितीय कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस-शहरी) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, झालरापाटन जिला झालावाड़ का परिवादी से परस्पर परिचय कराया गया। परिवादी श्री पहलवान सिंह का दिनांक 08.08.2022 को ब्यूरो कार्यालय में पेश किया गया प्रार्थना पत्र रिश्वत देते रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् पढ़कर सुनाया गया। इस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढ़कर व परिवादी से पूछताछ कर परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये तथा ट्रेप कार्यवाही में सहयोग हेतुं सहमित प्राप्त की गई। दिनांक 09.08.2022 समय 10:15 एएम पर परिवादी श्री पहलवान सिंह व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री श्याम बिहारी पारेता व श्री रोहित मामोडिया की मौजूदगी में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश देकर श्री गोपाल लाल हैड कानि. नं. 26 से मालखाना मे रखे हुऐ डिजिल वाईस रिकॉर्डर को निकलवाया जाकर सुना गया तो दिनांक 08.08.2022 को परिवादी श्री पहलवान सिंह व आरोपी श्री राकेश मीणा हल्का पटवारी व श्री समीर दलाल के मध्य आपस में हुई सत्यापन वार्ता में खरीद की हुई लगभग सवा बीघा जमीन का परिवादी की भाभी श्रीमती श्यामू बाई के नाम इन्तकाल खुलवाने के लिए आरोपी श्री राकेश मीणा हल्का पटवारी द्वारा 3,000रूपये रिश्वत की मांग करना सत्यापन वार्ता में पुष्टि होना पाया गया है। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुनकर दिनांक 08.08.2022 को हुई वार्ता को श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से उक्त वार्ता को कार्यालय के कम्प्यूटर में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री पहलवान सिंह को कम्प्यूटर के स्पीकर ऑन कर वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाज की पहचान कर परिवादी श्री पहलवान सिंह ने एक आवाज स्वय की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री राकेश मीणा हल्का पटवारी की तथा तीसरी आवाज श्री समीर दलाल की होना बताया। वार्ता की हुबहु कम्प्यूटर से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 09.08.2022 समय 11:00 एएम पर परिवादी श्री पहलवान सिंह ने दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री श्याम बिहारी पारेता व श्री रोहित मामोडिया के समक्ष अपने पास से 3,000 रूपये रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500-500 रूपये के कुल 06 नोट भारतीय मुद्रा के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किये जिनके नम्बरों को फर्द में अंकित करवाया गया। उक्त प्रस्तूत नोटों को मन् अतिरिक्त

पुलिस अधीक्षक ने परिवादी व सरकारी स्वतन्त्र गवाहान को दिखा कर श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाकर मंगवाई तथा उक्त कानि. को रिश्वत में दिये जाने वाले नोट सुपुर्द कर उसके द्वारा 3,000/-रूपये रिश्वत राशि के नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे तथा गवाहान श्री श्याम बिहारी पारेता से परिवादी श्री पहलवान सिंह की जामा तलाशी लिवायी जाकर उसके पास पहने हुये कपड़े व मोबाईल के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया। श्री हर्ष कुमार कानि० नं० 234 के हाथ से सीधे ही फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त उक्त रिश्वत राशि के नोटो को परिवादी श्री पहलवान सिंह की पहनी हुई पेंट की साईड की दाहिनी जेब में रखवायी गयी। परिवादी को हिदायत दी गई की वह रिश्वती राशि को रास्ते में अनावश्यक हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी द्वारा मांगने पर ही निकालकर रिश्वती राशि उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात् एवं पूर्व मे आरोपी से हाथ नहीं मिलायें यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से ही दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गयी कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखती अथवा छुपाती हैं का भी ध्यान रखें तथा आरोपी के रिश्वती राशि प्राप्त करने पर अपने संवय के सिर पर दोनों हाथ फेर कर या मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिस काल करें ताकि मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं ट्रेप पार्टी को रिश्वती राशि के लेन-देन होने का पता चल जाये। स्वतन्त्र गवाहन व ट्रैप पार्टी के सदस्यों को भी हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वती लेन-देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउँडर की शीशी को श्री हर्ष कुमार कानि० 234 से ही मालखाना में रखवाया गया। एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बीनेट पाउडर मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। कांच के उक्त रंगहीन घोल में नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री हर्ष कुमार कानि० के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह गवाहान् एवं परिवादी को दृष्टांत देकर समझाईश की गई कि जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो के हाथ लगायेगा या छुयेगा तो उसके हाथों की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में धूलवाने पर दोनों पाउडरों के परस्पर मिश्रण से घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि प्राप्त की है। इसके पश्चात् श्री हर्ष कुमार कानि. के द्वारा ही दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गिलास में मौजूद गुलाबी घोल को बाथरूम के वॉश बेसिन में डलवाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। दोनों गिलासों, ट्रेप सामग्री किट, चम्मच, खाली पव्वों इत्यादी को भी साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धूलवाये जाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। श्री हर्ष कुमार कानि० एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। इसके पश्चात् परिवादी को छोड़कर समस्त पार्टी के सदस्यगणो ने अपनी-अपनी आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तथा ट्रेप दल में ब्यूरो स्टाफ के पास स्वय के विभागीय परिचय पत्र रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् पुनः परिवादी सहित समस्त ट्रेप पार्टी के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धलवाये गये। रिश्वती लेन देने के समय लेन-देन वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु एक डिजिटल टेप रिकॉर्डर के रख रखाव व संचालन की विधि समझाकर परिवादी श्री पहलवान सिंह को सुपूर्व किया गया। फर्व हाजा मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढ़कर सुनाई गई, सुन समझ सही मान समस्त ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। दिनांक 09.08.2022 समय 12:30 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही से पूर्व की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण होने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री श्याम बिहारी पारेता व श्री रोहित मामोडिया तथा ब्यूरो स्टाफ के श्री गोपाल लाल हैंड कानि. नं. 26, श्री मोहम्मद आफाक हैंड कानि. नं. 97, श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425, श्री पवन कुमार कानि. 28, श्री शिवराज कानि. नं. 166 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर तथा सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री छोटूलाल नं. 534 के व प्राईवेट वाहन से बजानिब पिड़ावा की ओर ट्रेप कार्यवाही हेतु खाना हुआ। आगे आगे परिवादी श्री पहलवान सिंह को उसकी रंवय की मोटरसाईकिल से रवाना किया तथा श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 को ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में छोड़ा गया। दिनांक 09.08.2022 समय 04:00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी, स्वतंत्र गवाहान के अपने साथ ले गये सरकारी व प्राईवेट वाहनों से ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया। हालात इस प्रकार है कि, ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ से ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना होकर व परिवादी भी अपनी संवय की मोटर साईकिल से रवाना होकर पिड़ावा स्थित पटवार घर के निकट पहुंचे। परिवादी ने बताया कि आरोपी श्री राकेश मीणा पटवारी पास में ही किराये के मकान में रहता है। इस पर उसको आवश्यक हिदायत देकर डिजीटल टेप रिकार्डर मय रिश्वत राशि के 3,000रूपये आरोपी को देने के लिए रवाना किया। उसके पिछे-पिछे निगरानी हेतु श्री देवदान सिंह कानि० 425 को भी भेजा गया। कुछ ही देर पश्चात परिवादी श्री पहलवान सिंह मय श्री देवदान सिंह कानि० के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आये तथा अवगत कराया कि आरोपी श्री राकेश मीणा पटवारी किराये के मकान पर नहीं है तथा मकान पर भी ताला लगा हुआ है। पड़ौसी से जानकारी ली तो बताया कि पटवारी जी अपने गांव अकलेरा अवकाश पर चले गये है तथा 16 या 17 अगस्त को वापिस पिड़ावा आयेगें। पड़ौसी द्वारा दी गयी जानकारी

का सत्यापन करने पर आरोपी का अवकाश पर अकलेरा जाना ज्ञात हुआ। तत्पश्चात् परिवादी श्री पहलवान सिंह के साथ पुनः श्री देवदान सिंह कानि0 को तहसील कार्यालय के सामने स्थित अन्य आरोपी श्री समीर दलाल के बारे में जानकारी करने हेतु भेजा गया तो उन्होने जानकारी दी कि मोहर्रम की वजह से ई-मित्र की दुकान बन्द है तथा श्री समीर दलाल के बारे में जानकारी नहीं मिल पायी है। इस प्रकार परिवादी श्री पहलवान सिंह द्वारा दी गयी जानकारी से ट्रेप कार्यवाही किया जाना सम्भव नही है। अतः सरकारी गवाह श्री श्याम बिहारी पारेता के द्वारा परिवादी श्री पहलवान सिंह से आरोपी को रिश्वत में दी जाने हेतु सुपुर्द की गयी रिश्वत राशि 3,000रूपये उसकी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब से निकलवायी जाकर सीधे ही श्री गोपाल लाल हैड कानि0 नं0 26 को सफेद रंग के खाली लिफाफे में रखवाकर मौके पर ही सुपुर्द की गयी तथा परिवादी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर उसे भी मौके पर ही श्री गोपाल लाल हैड कानि० नं० 26 को सुपुर्द कर निर्देश दिये कि ब्यूरो कार्यालय लौटने पर रिश्वत राशि का लिफाफा व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुरक्षित मालखाना रखा जावें तथा परिवादी को अब तक की कार्यवाही के सम्बंध में गोपनीयता बरतने तथा आरोपी व दलाल के बारे में जानकारी कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराने की हिदायत देकर पिड़ावा से उसके गांव के लिए रूखसत किया गया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी व स्वतंत्र गवाहान के पिड़ावा से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पहुंचा। स्वतंत्र गवाहान को अब तक कार्यवाही के सम्बंध में गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया गया तथा पुनः ट्रेप कार्यवाही की जाने के समय उपस्थित होने के बारे में अवगत कराया गया। दिनांक 17.08.2022 समय 04:30 पीएम पर श्री देवदान सिंह कानि० नं० 425 ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाया कि परिवादी श्री पहलवान सिंह ने मुझे जरिये मोबाईल अवगत करवाया है कि आरोपी श्री राकेश मीणा पटवारी ड्यूटी पर आ गया है एवं कल दिनांक 18.08.2022 को ट्रेप कार्यवाही हो सकती है। परिवादी ने यह भी बताया कि वह कल आरोपी से सम्पर्क कर जरिये मोबाईल अवगत कर देगा। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री देवदान सिंह कानि0 को निर्देशित किया कि वह परिवादी श्री पहलवान सिंह को दिनांक 18.08.2022 को पिड़ावा में ही मिलने व मोबाईल पर लगातार सम्पर्क बनाये रखने हेतु अवगत करावें। दिनांक 17.08.2022 समय 05:00 पीएम पर कल दिनांक 18.08.2022 को ट्रेप कार्यवाही की सम्भावना होने के कारण पूर्व में ट्रेप कार्यवाही में पिड़ावा साथ गये सरकारी स्वतंत्र गवाहान श्री श्याम बिहारी पारेता इलेक्ट्रिशियन-प्रथम व श्री रोहित मामोडिया वाणिज्यिक सहायक—द्वितीय को पाबन्द करने हेतु पुनः अधीक्षण अभियंता कार्यालय जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वृत्त झालावाड़ के नाम कार्यालय पत्रांक 979 दिनांक 17.08.2022 जारी कर दोनों पाबन्द शुदा गवाहान को भिजवाने हेतु पत्र श्री शिवराज कानि० नं० 166 को सुपुर्द कर रवाना किया गया। दिनांक 17.08.2022 समय 05:40 पीएम पर श्री शिवराज कानि0 नं0 166 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया तथा गोपनीय कार्यवाही हेतु कार्यालय अधीक्षण अभियंता जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वृत्त झालावाड़ के पूर्व में गोपनीय कार्यवाही में साथ गये श्री श्याम बिहारी पारेता इलेक्ट्रिशियन-प्रथम व श्री रोहित मामोडिया वाणिज्यिक सहायक-द्वितीय को पाबन्द कर प्राप्ति रसीद लेकर कार्यालय में हाजिर आकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया, पत्र का अवलोकन कर शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 18.08.2022 समय 10.00 एएम पर तलविदा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री श्याम बिहारी पारेता इलेक्ट्रिशियन-प्रथम व श्री रोहित मामोडिया वाणिज्यिक सहायक-द्वितीय कार्यालय जयपुर डिस्कॉम, झालावाड़ ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आज की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही के बारे में पुनः समझाया गया। दिनांक 18.08.2022 समय 11:30 एएम पर परिवादी श्री पहलवान सिंह ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जिरये मोबाईल कॉल कर अवगत करवाया कि आरोपी श्री राकेश कुमार मीणा हल्का पटवारी तथा ई–मित्र संचालक श्री समीर दोनों ही आज पिड़ावा में मौजूद है। मैं ट्रेप कार्यवाही कराने हेतु ब्यूरो कार्यालय झालावाड नही आ पाऊंगा। मैं आपको पिड़ावा बस स्टेण्ड पर ट्रेप कार्यवाही हेतु उपस्थित रहूंगा। इस पर श्री गोपाल लाल हैड कानि० नं० २६ को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश देकर पूर्व में परिवादी द्वारा दी गयी रिश्वत राशि 3,000रूपये रखे लिफाफा जो ब्यूरों कार्यालय के मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया था उक्त लिफाफा व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को निकलवाकर चैक कर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री श्याम बिहारी पारेता इलेक्ट्रिशियन-प्रथम व श्री रोहित मामोडिया वाणिज्यिक सहायक-द्वितीय तथा ब्यूरो स्टाफ के श्री गोपाल लाल हैड कानि. नं. 26, श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि. नं. 97, श्री देवदान सिंह कानि० नं० 425, श्री पवन कुमार कानि. 28, श्री शिवराज कानि. 166 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर तथा सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री छोटूलाल नं. 534 के सरकारी व प्राईवेट वाहन से बजानिब पिड़ावा की और ट्रेप कार्यवाही हेतू रवाना हुआ। श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 को कार्यालय में ही निगरानी हेतु छोड़ा गया। दिनांक 18.08.2022 समय 01:00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टाफ के सरकारी व प्राईवेट वाहनों से पूर्व निर्धारित स्थान बस स्टेण्ड के पास, पिड़ावा पहुंचा। जहां पर परिवादी श्री पहलवान सिंह अपनी मोटरसाईकिल साईड में खड़ी कर इन्तजार करते हुए उपस्थित मिला। परिवादी का दोनों स्वतंत्र गवाहान से पुनः परिचय करवाया गया। स्वतंत्र गवाह श्री रोहित मामोडिया से परिवादी श्री पहलवान सिंह की तलाशी लिवायी गयी उसके पास कोई वस्तु नहीं मिली।

तत्पश्चात् श्री गोपाल लाल हैड कानि० से ट्रेप बॉक्स खुलवाकर स्वतंत्र गवाह श्री रोहित मामोडिया से ट्रेप बॉक्स में रखी रिश्वत राशि 3,000रूपये का लिफाफा निकलवाकर उसमें से नोट निकलवाकर परिवादी श्री पहलवान सिंह की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रखवायी गयी। तत्पश्चात् स्वतंत्र गवाह श्री रोहित मामोडिया के मौके पर ही साबुन से हाथ धुलाये गये। आरोपी से रिश्वत लेनदेन के दौरान होने वाली वार्तालाप को रिकॉर्ड करने हेतु डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पुनः चालू बन्द करने की विधिवत प्रक्रिया समझाईश कर चैक कर परिवादी को सुपुर्द किया गया। दिनांक 18.08.2022 समय 01:20 पीएम पर परिवादी श्री पहलवान सिंह को आरोपी श्री राकेश कुमार हल्का पटवारी द्वारा रिश्वत राशि के 3,000रूपये पूर्व में बताये अनुसार श्री समीर (प्राईवेट व्यक्ति) को उसकी ई-मित्र की दुकान बस स्टेण्ड पिड़ावा पर देने के लिए उसकी अपनी मोटरसाईकिल से खाना किया गया तथा हिदायत की गयी कि रास्ते में रिश्वत राशि के नोटों को नहीं छुये यदि किसी का अभिवादन करना पड़े तो केवल हाथ जोड़कर ही अभिवादन करें। तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाब्ता व स्वतंत्र गवाहान के सरकारी व प्राईवेट वाहनों से परिवादी श्री पहलवान सिंह के पिछे-पिछे बस स्टेण्ड पिडावा के तहसील कार्यालय की साईड में सरकारी व प्राईवेट वाहनों से अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए अन्य वाहनों की आड लिए बस स्टेण्ड पर ही ई-मित्र की दुकान के नजदीक पहुंचे व ट्रेप जाल बिछाकर परिवादी के ईशारे की प्रतीक्षा में मुकीम हुए। दिनांक 18.08.2022 समय 01:30 पीएम पर परिवादी श्री पहलवान सिंह बिना कोई ईशारा किये मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आया और बताया कि समीर ई-मित्र की दुकान पर श्री समीर अभी मौजूद नहीं है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री पहलवान सिंह को निर्देशित किया कि दूर से ही समीर ई-मित्र की दुकान पर निगरानी रखे तथा श्री समीर के आने पर ई–मित्र की दुकान पर जाकर आरोपी पटवारी श्री राकेश कुमार मीणा के बताये अनुसार उससे अपने कार्य के सम्बंध में बातचीत कर रिश्वत राशि दे तथा रिश्वत राशि देने के उपरान्त पूर्व निर्धारित ईशारा करें तथा ई–मित्र संचालक श्री समीर को उसके मोबाईल से आरोपी श्री राकेश कुमार मीणा हल्का पटवारी से उसके मोबाईल पर कॉल कर रिश्वत राशि प्राप्त होने बाबत् अवगत कराने के निर्देश दिये गये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरकारी व प्राईवेट वाहनों में समीर ई-मित्र की दुकान से पूर्व ही वाहनों में बैठे रहकर दूर से ही परिवादी को रिश्वत राशि देने के ईशारे का इन्तजार करने लगे। दिनांक 18.08.2022 समय 03:25 पीएम पर परिवादी श्री पहलवान सिंह ने पिड़ावा बस स्टेण्ड व तहसील के पास गली में स्थित समीर ई-मित्र की दुकान के काउण्टर के पास खड़ा होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पूर्व निर्धारित ईशारा सिर पर हाथ फिराकर करने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी व स्वतंत्र गवाहान को जोया ई-मित्र की दुकान से सटी हुई अन्य ई-मित्र की दुकान के सामने से सरकारी वाहन व प्राईवेट वाहन से नीचे उतारकर हमराह लेकर समीर ई-मित्र की दुकान पर पहुंचा तथा परिवादी से पूर्व में रिश्वत लेन-देन के दौरान आरोपी से वार्तालाप करने हेतु सुपुर्द शुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर कब्जे में लिया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री पहलवान सिंह से रिश्वत राशि मांगने, प्राप्त करने तथा रखने वाली जगह के बारे में पूछा गया तो परिवादी ने समीर ई-मित्र दुकान के काउण्टर के अन्दर कुर्सी पर बैठे गौरे से हल्की दाढी मूंछ रखे नीली टी-शर्ट व हल्के नीले रंग की जीन्स की पेन्ट पहनी हुए व मोबाईल पर वार्ता कर रहे उक्त युवक की और ईशारा कर बताया कि अभी-अभी इस लड़के को आरोपी श्री राकेश कुमार मीणा हल्का पटवारी रमायदलपत के बताये अनुसार 3,000/-रूपये रिश्वत राशि दी है जिसने रिश्वत राशि गिनकर प्राप्त कर अपनी पहनी हुई हल्के नीले रंग की जीन्स की पेन्ट की पिछे की बांयी जेब में रख ली है तथा मेरे द्वारा इस युवक से आरोपी श्री राकेश कुमार मीणा हल्का पटवारी को जरिये मोबाईल रिश्वत राशि के 3,000/-रूपये प्राप्त करने के सम्बंध में अवगत कराने की कहने पर इस युवक के द्वारा आरोपी श्री राकेश कुमार मीणा हल्का पटवारी रमायदलपत से मोबाईल पर वार्तालाप कर रहा है। युवक के मोबाईल वार्तालाप समाप्त होने पर समीर ई-मित्र पर बैठे उस युवक को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना व हमराहीयान का परिचय दिया तथा उसकी ई-मित्र की दुकान पर आने का प्रयोजन बताया तो वह अत्यन्त घबरा गया जिसे तसल्ली देकर उसका नाम-पता पूछा तो उसने अपना नाम समीर अंसारी पुत्र श्री रईस अंसारी जाति मुसलमान उम्र 24 वर्ष निवासी स्टेंट बैंक ऑफ इण्डिया के सामने, पार्वती कॉलोनी पिड़ावा जिला झालावाड़ राज0 होना बताया। तत्पश्चात आरोपी श्री समीर अंसारी से उसके द्वारा ली गयी 3,000 / – रूपये रिश्वत राशि बाबत् पूछा गया कि उसने यह रिश्वत राशि क्यों व किस उद्देश्य से ली है तो उसने रूबरू स्वतंत्र गवाहान बताया कि यह रिश्वत राशि मैंने श्री राकेश कुमार मीणा पटवारी जी के कहने पर उनके लिए ही ली है। थोड़ी देर पहले श्री पहलवान सिंह द्वारा 3,000 / - रूपये मुझे देने पर मैंने श्री राकेश कुमार मीणा पटवारी जी को मेरे मोबाईल नम्बर 8503031143 से उनके मोबाईल नम्बर 8209072529 पर बातचीत कर बता दिया था कि श्री पहलवान सिंह द्वारा श्रीमती श्यामू बाई के इंतकाल के मामले में 3,000 / -रूपये दिये है। उनके कहने पर मैंने यह 3,000रूपये रख लिये है। मैं तहसील पिड़ावा में 8–10 दिन पूर्व जब श्री पहलवान सिंह श्री राकेश कुमार मीणा पटवारी जी से इंतकाल दर्ज करवाने के काम के लिए मिलने आये थे उस समय मैं भी वहां पर मौजूद था तब पटवारी जी ने श्री पहलवान सिंह को कहां था कि समीर को उसकी दुकान पर जाकर 3,000रूपये दे देना। मैंने इसमें कोई दलाली नहीं की है। यह रूपये मैंने पटवारी जी के कहने पर लिये है। इसमें मेरा कोई हिस्सा नही है। मैं

उनको जानता हूं इसलिए विश्वास करके रख लिये है। मेरे से गलती हो गयी, मुझे माफ करें। आयन्दा ध्यान रखूंगा। श्री पहलवान सिंह द्वारा अभी-अभी कुछ देर पहले मुझे दिये गये 3,000रूपये मेरी जीन्स की पेन्ट की पिछें की बांयी जेब में रखे हुए है। चूंकि अन्य आरोपी श्री राकेश कुमार मीणा हल्का पटवारी द्वारा परिवादी श्री पहलवान सिंह से रिश्वत राशि की मांग की गयी है तथा उसके बारे में जानकारी करने पर पुरानी तहसील भवन पिड़ावा में स्थित पटवार घर में बैठे होने की जानकारी मिलने पर तत्काल श्री गोपाल लाल हैड कानि0 को प्राईवेट वाहन से श्री देवदान सिंह कानि० व श्री पवन कुमार कानि० के साथ पुरानी तहसील भवन पिड़ावा स्थित पटवार घर भेजा गया। श्री गोपाल लाल हैड कानि० व जाब्ता द्वारा आरोपी श्री राकेश कुमार मीणा को परानी तहसील भवन पिडावा में स्थित पटवार घर से तहसील पिड़ावा परिसर लेकर आये तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान व शेष ब्यूरो स्टाफ के सुरक्षा व अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु सुविधाजनक स्थान के मध्यनजर समीर ई-मित्र दुकान से आरोपी श्री समीर अंसारी का दाहिना हाथ श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि0 तथा बायां हाथ श्री शिवराज कानि0 से पकड़वाकर समीप ही स्थित तहसील कार्यालय आये जहां पर अन्य टीम परिसर में मौजूद मिली। इस पर वहां उपस्थित श्री महेश कुमार शर्मा नायब तहसीलदार पिडावा से ट्रेप कार्यवाही करने हेतू तहसील भवन का कमरा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। जिस पर उनके द्वारा तहसील भवन का कमरा नम्बर 12 उपलब्ध कराया जाने पर आरोपी श्री राकेश कुमार मीणा हल्का पटवारी तथा श्री समीर अंसारी (प्राईवेट व्यक्ति) को तहसील भवन के कमरा नम्बर 12 में लेकर आये तथा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के क्रम में आरोपी श्री समीर अंसारी (प्राईवेट व्यक्ति) के दोनों हाथों की धुलाई हेतु दो साफ कांच के गिलासो में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। तत्पश्चात एक कांच के गिलास मे तैयार घोल मे आरोपी श्री समीर अंसारी के दाहिनें हाथ की उंगलियों व अंगूठे को उक्त गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा मोके पर भरकर सील-मोहर चिट कर मार्का आरएच-1, आरएच-2 अंकित कर सबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर दूसरे कांच के गिलास मे तैयार घोल मे आरोपी श्री समीर अंसारी के बायें हाथ की उंगलियों व अंगूठे को उक्त गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमेला प्राप्त हुआ। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा मौके पर भरकर सील-मोहर चिट कर मार्का एलएच-1, एलएच-2 अंकित कर सबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात् आरोपी श्री समीर अंसारी (प्राईवेट व्यक्ति) की पहनी हुई हल्के नीले रंग की जीन्स की पेन्ट की पिछे की बांयी जेब की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री रोहित मामोडिया से लिवायी गयी तो उसके द्वारा तलाशी के दौरान 500-500 रूपये के नोटों की एक थेई पेश की। जिनकी गिनती करने पर 500-500रूपये के 06 नोट कुल राशि 3,000रूपये होना पाया गया। फिर अन्य स्वतंत्र गवाह श्री श्याम बिहारी पारेता को फर्द सुपुर्दगी नोट देकर उक्त बरामद नोटों का मिलाने करने पर दोनों गवाहों ने फर्द सुपुर्दगी में अंकित नोटों के हुबहु रिश्वत राशि वाले 500-500रूपये के 06 नोट कुल 3,000रूपये होना बताया। बरामद शुदा नोटो के नम्बर निम्न प्रकार है:--

1	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	0DU 563230
2	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	6RN 290840
3	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	2UF 471072
4	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	1RF 890785
5	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	7BW 571910
6	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	6GB 951067

उक्त बरामद नोटो को कागज मे मौके पर ही सील—मोहर चिट कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया। उक्त बरामद नोटों के अलावा आरोपी श्री समीर अंसारी के पास रेडमी के—20 कम्पनी का नीले रंग का मोबाईल मिला जिसे भी बतौर सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात् आरोपी श्री समीर अंसारी को अन्य पेन्ट मंगवाकर पहनवाकर रिश्वत राशि रखी हुई, पहनी हुयी हल्के नीले रंग की जीन्स की पेन्ट की पिछे की बांयीं जेब को उलटवाकर धुलाई हेतु एक कांच के साफ गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। फिर आरोपी की पहनी हल्के नीले रंग की जीन्स की पेन्ट की पिछे की बांयी जेब को उलटवाकर उक्त घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो घोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा—आधा भरकर मौके पर ही सील—मोहर चिट कर मार्का पी—1, पी—2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया। पेन्ट की जेब की धुलाई के पश्चात पंखे की हवा मे सुखाकर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कपडे की थेली मे रखकर सील चिट करवाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। वत्पश्चात् अन्य आरोपी श्री राकेश कुमार मीणा रिजर्व पटवारी हल्का रमायदलपत से आरोपी श्री समीर अंसारी को परिवादी श्री पहलवान सिंह से उसकी भाभी श्रीमती श्रामू बाई पत्नि श्री बादर सिंह निवासी सारंगाखेड़ा

द्वारा 2-3 माह पूर्व श्री प्रहलाद सिंह से खरीदी गयी खसरा नम्बर 1022/733, 303 तथा 38 कुल रकबा सवा बीघा करीब का इंतकाल दर्ज करवाने की एवज में स्वय के लिए परिवादी श्री पहलवान सिंह से 3,000रूपये की रिश्वत राशि की मांग करने तथा रिश्वत राशि मांग करने के समय मौजूद ई-मित्र संचालक श्री समीर अंसारी को सीधे ही उसकी दुकान पर देने की बात कहने तथा आज दिनांक 18.08.2022 को श्री समीर अंसारी को उसके लिए 3,000रूपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों उसकी ई-मित्र की दुकान पर पकड़े जाने तथा परिवादी श्री पहलवान सिंह के कहने पर रिश्वत राशि 3,000रूपये प्राप्त करने की जानकारी जरिये मोबाईल श्री समीर अंसारी द्वारा रिश्वत राशि लेने के बाद उसको जरिये मोबाईल कॉल कर रिश्वत राशि प्राप्त करने की जानकारी देने बाबत् स्पष्टीकरण मांगा गया तो आरोपी श्री राकेश कुमार मीणा हल्का पटवारी ने बताया कि न तो मैंने श्री पहलवान सिंह से कोई रूपये इंतकाल दर्ज कराने की एवज में मांगे है और ना ही मैंने रिश्वत राशि ली है और ना ही मैंने श्री समीर अंसारी को रिश्वत राशि देने के लिए श्री पहलवान सिंह को बोला है। इसका परिवादी श्री पहलवान सिंह द्वारा खण्डन करते हुए बताया कि श्री राकेश कुमार मीणा हल्का पटवारी जी झूठ बोल रहे है। मैंने मेरी भाभी श्रीमती श्यामू बाई के नाम इंतकाल दर्ज कराने हेतु इनसे मिलने पर इन्होने मुझसे इंतकाल दर्ज कराने की एवज में 3,000रूपये रिश्वत राशि की मांग करने पर मैंने दिनांक 08.08.2022 को आपके कार्यालय में जाकर ट्रेप कार्यवाही कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिस पर आपने उसी रोज श्री देवदान सिंह जी के साथ मुझे श्री राकेश कुमार मीणा हल्का पटवारी जी से रिश्वत मांग वार्तालाप करने हेत् भिजवाया था। जिस पर मैंने तहसील पिड़ावां में जाकर श्री राकेश कुमार मीणा हल्का पटवारी से इंतकाल दर्जे कराने के सम्बंध में वार्तालाप की गयी तो उनके द्वारा 3,000रूपर्य रिश्वत राशि श्री समीर अंसारी ई-मित्र संचालक को उसकी दुकान पर देने की बात कही थी। उस समय श्री समीर अंसारी भी वहीं मौजूद था। मैंने यह रिश्वत राशि श्री राकेश कुमार मीणा हल्का पटवारी जी के द्वारा इंतकाल दर्ज कराने की एवज में उनके द्वारा मांगने पर तथा श्री समीर अंसारी को देने की कहने पर श्री समीर अंसारी ई-मित्र संचालक को आज उसकी दुकान पर दी है। मेरे द्वारा श्री राकेश कुमार मीणा पटवारी जी बात कर रिश्वत राशि देने की कहने पर ई-मित्र संचालक श्री समीर अंसारी द्वारा अपने मोबाईल से श्री राकेश कुमार पटवारी जी को बता दिया था कि 3,000रूपये श्री पहलवान सिंह ने दे दिये है। इस तरह उनके द्वारा रिश्वत मांगी गयी है तथा उनके बताये अनुसार श्री समीर अंसारी ने रिश्वत राशि के 3,000रूपये मेरे से प्राप्त कर गिनकर लिये है। आरोपी श्री राकेश कुमार मीणा हल्का पटवारी के पास ओपो कम्पनी का नीले रंग का मोबाईल फोन मिला जिसे भी बतौर वजत सबूत ब्यूरो कब्जे में लिया गया। परिवादी श्री पहलवान सिंह के आज दिनांक 18.08.2022 को पेण्डिंग कार्य की एनआईसी प्रिंट निकलवायी गयी तो उसमें श्रीमती श्याम् बाई का नामांतरकरण प्रक्रियांधीन होना अंकित पाया गया। प्रिंट को शामिल पत्रावली किया गया। श्री महेश कुमार शर्मा नायब तहसीलदार पिड़ावा से आरोपी श्री राकेश कुमार मीणा रिजर्व पटवारी को हल्का पटवारी रमायदलपत का दिया गया अतिरिक्त चार्ज, रिजर्व पटवारी के पद पर तहसील पिड़ावा में नियुक्त करने सम्बंधी आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की जाकर शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 18.08.2022 समय 06:30 पीएम पर घटना स्थल का नक्शा मौका व हालात मौका तैयार करने हेतु मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री पहलवान सिंह व आरोपी श्री समीर अंसारी प्राईवेट व्यक्ति को साथ लेकर मय सरकारी वाहन चालक के उसकी बस स्टेण्ड पर स्थित समीर ई-मित्र की दुकान के लिए रवाना हुआ तथा आरोपी श्री राकेश कुमार मीणा व अन्य ब्यूरो स्टॉफ को तहसील कार्यालय पिड़ावा में ही छोड़ा गया। दिनांक 18.08.2022 समय 07:00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री पहलवान सिंह के बताये अनुसार घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका घटनास्थल बरामदगी रिश्वत राशि तैयार कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात् सम्बंधितों को हमराह लेकर घटनास्थल से तहसील कार्यालय पिड़ावा के लिए रवाना हुआ। दिनांक 18.08.2022 समय 07:35 पीएम पर आरोपी श्री राकेश कुमार पुत्र स्व0 श्री रामगोपाल जाति मीणा उम्र 38 साल निवासी ग्राम खेरखेड़ा थाना घाटोली तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ राज0 हाल रिजर्व पटवारी तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ राज0 अतिरिक्त चार्ज हल्का पटवारी रमायदलपत तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ राज0 की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री श्याम बिहारी पारेता से लिवायी जाकर रूबरू दोनों स्वतंत्र गवाहन के समक्ष जुर्म से आगाह कर जिरये फर्द गिरफ्तारी के, गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री राकेश कुमार मीणा की गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के बताये अनुसार उसके छोटे भाई श्री अशोक कुमार मीणा निवासी अकलेरा को जिरये मोबाईल दी गयी। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 18.08.2022 समय 07:50 पीएम पर आरोपी श्री समीर अंसारी पुत्र श्री रईस अंसारी जाति मुसलमान उम्र 24 वर्ष निवासी स्टेंट बैंक ऑफ इण्डिया के सामने, पार्वती कॉलोनी पिड़ावा जिला झालावाड़ राज0 (प्राईवेट व्यक्ति) की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री श्याम बिहारी पारेता से लिवायी जाकर रूबरू दोनों स्वतंत्र गवाहन के समक्ष जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तारी के, गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री समीर अंसारी की गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार उसके बताये अनुसार छोटे भाई श्री जमील अंसारी को दी गयी। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 18.08.2022 समय 08:05 पीएम पर

आरोपी श्री राकेश कुमार पुत्र स्व0 श्री रामगोपाल जाति मीणा उम्र 38 साल निवासी ग्राम खेरखेड़ा थाना घाटोली तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ राज0 हाल रिजर्व पटवारी तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ राज0 अतिरिक्त चार्ज हल्का पटवारी रमायदलपत तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ राज0 को दोनों स्वतंत्र गवाहन श्री श्याम बिहारी पारेता व श्री रोहित मामोडिया के समक्ष, दिनांक 08.08.2022 को परिवादी श्री पहलवान सिंह द्वारा कार्यालय तहसील पिड़ावा में रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता को परिवादी द्वारा उसको सुपूर्व किये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था, उसका एफएसएल से परीक्षण करवाने हेतु नमूना आवाज जरिये फर्द प्राप्ति नमुना आवाज नोटिस दिया गया तो आरोपी श्री राकेश कुमार मीणा ने फर्द पर ही संवय के हस्तलेख में लिखकर दिया कि " मैं अपनी आवाज का परीक्षण नहीं कराना चाहता हूँ।" अंकित कर हस्ताक्षर किये। फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 18.08.2022 समय 08:15 पीएम पर श्री समीर अंसारी पुत्र श्री रईस अंसारी जाति मुसलमान उम्र 24 वर्ष निवासी स्टेंट बैंक ऑफ इण्डिया के सामने, पार्वती कॉलोनी पिड़ावा जिला झालावाड़ राज0 (प्राईवेट व्यक्ति) को दोनों स्वतंत्र गवाहन श्री श्याम बिहारी पारेता व श्री रोहित मामोडिया के समक्ष, दिनांक 08.08.2022 को परिवादी श्री पहलवान सिंह द्वारा तहसील कार्यालय पिड़ावा में रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता व आज दिनांक 18.08.2022 को समीर ई-मित्र बस स्टेण्ड पिड़ावा पर उससे रिश्वत लेनदेन के समय हुई वार्ता को परिवादी श्री पहलवान सिंह द्वारा उसको एसीबी चौकी झालावाड़ द्वारा सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था। उसका एफएसएल से परीक्षण करवाने हेतु नमूना आवाज जरिये फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस दिया गया तो आरोपी श्री समीर अंसारी ने फर्द पर ही संवय के हस्तलेख में लिखकर दिया कि " मैं अपनी आवाज का परीक्षण नहीं कराना चाहता हूँ।" अंकित कर हस्ताक्षर किये। फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 18.08.2022 समय 08:25 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी श्री पहलवान सिंह, दोनों स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टॉफ तथा गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री राकेश कुमार मीणा व श्री समीर अंसारी को साथ लेकर मय ट्रेप बॉक्स व जब्त शुदा आर्टिकल्स, रिश्वत राशि 3,000रूपये तथा धोवन के सेम्पल आरएच-1, आरएच-2, एलएच-1, एलएच-2, पी-1, पी-2, व पेन्ट का शील्ड शुदा पैकेट मार्क-पी तथा दोनों आरोपियों के जब्त शुदा मोबाईल आदि साथ लेकर मय सरकारी वाहन व प्राईवेट वाहन से आरोपी श्री राकेश कुमार मीणा के किराये का कमरा मकान श्री कालू जी जैन आजाद चौक पिड़ावा की खाना तलाशी हेतु रवाना हुआ। दिनांक 18.08.2022 समय 08:35 पीएम पर आरोपी श्री राकेश कुमार मीणा पटवारी के किराये का कमरा, मकान श्री कालू जी जैन आजाद चौक पिड़ावा पहुंचकर आरोपी श्री राकेश कुमार मीणा द्वारा किराये पर लिए गये कमरे की खाना तलाशी लेने हेतु मकान मालिक को जानकारी देकर दोनों स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाब्ते से नियमानुसार तलाशी लिवायी गयी तो आरोपी के किराये के कमरे में आरोपी के घरेलू उपयोग के सामान इत्यादी मिले कोई बहुमूल्य वस्तु जैसे नकदी, आभूषण, स्थायी सम्पत्तियों सम्बंधी दस्तावेजात नहीं मिले और ना ही कोई वस्तु आदि जब्त की गयी। उक्त कार्यवाही की फर्द खाना तलाशी मुर्तिब कर फर्द पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 18.08.2022 समय 09:00 पीएम पर सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी श्री पहलवान सिंह, दोनों स्वतंत्र गवाहान व जाब्ता तथा गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री राकेश कुमार मीणा व श्री समीर अंसारी को साथ लेकर मय ट्रेप बॉक्स व जब्त शुदा आर्टिकल्स, रिश्वत राशि ३,०००रूपये तथा धोवन के सेम्पल आरएच-1, आरएच-2, एलएच-1, एलएच-2, पी-1, पी-2, व पेन्ट का शील्ड शुदा पैकेट मार्क-पी तथा दोनों आरोपियों के जब्त शुदा मोबाईल आदि साथ लेकर मय सरकारी व प्राईवेट वाहन से एसीबी चौकी झालावाड़ के लिए रवाना हुआ। दिनांक 18.08.2022 समय 10:10 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी, गिरफ्तारशूदा आरोपीगण श्री राकेश कुमार मीणा व श्री समीर अंसारी एवं ब्यूरो स्टाफ के साथ लाये सरकारी व प्राईवेट वाहनों से ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पहुँचा। मौके से जब्त शुदा व बरामद शुदा माल बतौर वजह सबूत, रिश्वत राशि तथा धोवन के सैम्पल इत्यादि श्री गोपाल लाल मुख्य आरक्षक नं. 26 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इंद्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना रखवाये गये। दिनांक 18.08.2022 समय 10:15 पीएम पर परिवादी श्री पहलवान सिंह व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री श्याम बिहारी पारेता व श्री रोहित मामोडिया की मौजूदगी में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा वक्त रिश्वत लेनदेन के समय हुई वार्तालाप जो डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गयी थी को श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से उक्त वार्ता को कार्यालय के कम्प्यूटर में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री पहलवान सिंह को कम्प्यूटर के स्पीकर ऑन कर वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाज की पहचान कर परिवादी श्री पहलवान सिंह ने एक आवाज स्वय की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री समीर अंसारी (प्राईवेट व्यक्ति) की होना बताया। वार्ता की हुबहु कम्प्यूटर से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 18.08.2022 समय 10:50 पीएम पर दिनांक 08.08.2022 को आरोपी श्री राकेश कुमार मीणा पटवारी व श्री समीर अंसारी (प्राईवेट व्यक्ति) तथा परिवादी श्री पहलवान सिंह के मध्य रिश्वत की मांग से संबंधित वार्ता हुई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 09.08.

2022 को समय 10.15 एएम पर तैयार की गई थी तथा दिनांक 18.08.2022 को वक्त रिश्वत लेनदेन के समय आरोपी श्री समीर अंसारी (प्राईवेट व्यक्ति) तथा परिवादी श्री पहलवान सिंह के मध्य वार्ता हुई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 18.08.2022 को समय 10.15 पीएम पर तैयार की गई थी। उक्त दोनों वार्ताओं को कार्यालय कम्प्यूटर में सेव किया गया था। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री देवदान सिंह कानि० नं० 425 के द्वारा जरिये कम्प्यूटर पांच सीडी डब करवाई गई, जिसमें एक सीडी आरोपी श्री राकेश कुमार मीणा पटवारी के लिये, एक सीडी आरोपी श्री समीर अंसारी के लिए, एक सीडी नमूना आवाज हेतू तथा एक सीडी माननीय न्यायालय हेतु कपड़े की थेली में रखकर सील मोहर की गई तथा एक सीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु खुली रखी गई। जिसकी फर्द डिबेंग सीडी पृथक से तैयार करवाकर सीडी व फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 18.08.2022 समय 11:00 पीएम पर कार्यालय में हवालात की व्यवस्था नहीं होने के कारण गिरफ्तार शुदा आरोपीगण श्री राकेश कुमार मीणा व श्री समीर अंसारी को वास्ते सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ की हवालात में बंद करवाने हेतु तहरीर देकर जिरये श्री गोपाल लाल मुख्य आरक्षक नं. 26 व श्री देवदान सिंह कानि0 425 के साथ सरकारी बोलेरो वाहन से रवाना किया गया तथा परिवादी श्री पहलवान सिंह एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान श्याम बिहारी पारेता व श्री रोहित मामोडिया को सम्पूर्ण कार्यवाही के पश्चात् रूखसत किया गया। दिनांक 18. 08.2022 समय 11:30 पीएम पर आरोपीगणों श्री राकेश कुमार मीणा व श्री समीर अंसारी को वास्ते सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ की हवालात में बन्द करवाकर श्री गोपाल लाल हैड कानि0 26 व श्री देवदान सिंह कानि० 425 कार्यालय में हाजिर आये।

अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री पहलवान सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह जाति सौंधिया राजपूत उम्र 25 वर्ष निवासी सारंगाखेड़ा तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज0) ने दिनांक 08.08.2022 को कार्यालय में उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश किया था कि इस साल दो-तीन माह पूर्व श्री प्रहलाद सिंह जी निवासी सारंगाखेड़ा वालों से खसरा नम्बर 1022 / 733, 303 तथा 38 के कुल रकबा में से लगभग सवा बीघा जमीन खरीदी थी। जिसका इन्तकाल उसकी भाभी श्रीमती श्यामू बाई पत्नि श्री बादर सिंह के नाम खुलवाने के लिये तहसीलदार पिड़ावा श्री महेश कुमार जी से 6-7 दिन पूर्व तहसील पिड़ावा जाकर मिला तथा इन्तकाल दर्ज कराने के लिये प्रार्थना पत्र पेश करने पर उनके द्वारा श्री राकेश मीणा हल्का पटवारी को प्रार्थना पत्र देने के लिये कहा तथा बताया कि एक-दो दिन में इन्तकाल खुल जायेगा। इन्तकाल खुलवाने के लिये श्री राकेश मीणा हल्का पटवारी से मिला तो उन्होने इन्तकाल खोलने की एवज् में पांच हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की। मेरे द्वारा हाथा जोड़ी करने पर उन्होंने तीन हजार रूपये रिश्वत राशि देने पर इन्तकाल दर्ज करने के लिये कहा तथा बोले कि तुम चक्कर काटते रहो जब तक तीन हजार रूपये रिश्वत राशि के नहीं दोगे तब तक तुम्हारा इन्तकाल का काम नहीं होगा। परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 7 की परिधि में पाये जाने पर उसी दिन रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये तथ्यों की पुष्टि हुई तथा आरोपी पटवारी द्वारा रिश्वत राशि श्री समीर अंसारी ई-मित्र संचालक को देने के लिए कहा। इस पर परिवादी द्वारा रिश्वत राशि 3,000रूपये की व्यवस्था कर दिनांक 09.08.2022 को कार्यालय में उपस्थित आने पर ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। परिवादी श्री पहलवान सिंह मय ट्रेप पार्टी पिड़ावा पहुंचकर परिवादी को आरोपी के पास भिजवाया तो आरोपी श्री राकेश कुमार मीणा पटवारी का 16-17 अगस्त तक अवकाश पर होना मालूम हुआ। इस पर ट्रेप कार्यवाही नहीं हो सकी। दिनांक 17.08.2022 को परिवादी ने जरिये मोबाईल अवगत कराया कि आरोपी श्री राकेश कुमार मीणा तहसील कार्यालय, पिड़ावा में ड्यूटी पर आ गया है। कल दिनांक 18.08.2022 को ट्रेप कार्यवाही हो सकती है। आप मेरे द्वारा पूर्व में आपके कार्यालय में रखी गयी रिश्वत राशि 3,000रूपये लेकर पिड़ावा आ जाओ। इस पर दिनांक 18.08.2022 को ट्रेप कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। पिड़ावा में बस स्टेण्ड के पास परिवादी को बताये अनुसार उसके उपस्थित मिलने पर आरोपी श्री राकेश कुमार मीणा पटवारी के कहे अनुसार श्री समीर अंसारी प्राईवेट व्यक्ति को उसकी ई-मित्र की दुकान पर दी जाने वाली रिश्वत राशि के 3,000रूपये व रिश्वत लेन-देन वार्तालाप के दौरान होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिए डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चैक कर पुनः चालू बन्द करने की विधिवत् प्रक्रिया के बारे में समझाईस कर परिवादी को सुपुर्द कर आरोपी श्री समीर अंसारी की ई-मित्र की दुकान पर भिजवाया गया। श्री समीर अंसारी द्वारा परिवादी से अपनी समीर ई-मित्र दुकान पर 3,000 / - रूपये रिश्वत राशि प्राप्त कर गिनकर अपनी पहनी हुई हल्के नीले रंग की जीन्स की पेन्ट की पिछे की बांयी जेब में रखना तथा रिश्वत राशि प्राप्त करने के उपरान्त

अपने मोबाईल से आरोपी श्री राकेश कुमार मीणा के मोबाईल पर कॉल कर रिश्वत राशि प्राप्त होने बाबत् जानकारी देना तथा पटवारी के कहने पर रिश्वत राशि ग्रहण करना तथा आरोपी श्री समीर अंसारी प्राईवेट व्यक्ति से 3,000/—रूपये रिश्वत राशि उसकी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की बांयी जेब से बरामद होना। दाहिने हाथ के धोवन का रंग हल्का गुलाबी व बांये हाथ के धोवन का रंग मटमेला एवं पेन्ट की जेब का धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त होना तथा दिनांक 18.08.2022 को आरोपी श्री समीर अंसारी ई—मित्र संचालक को 3,000/—रूपये रिश्वत राशि उसकी ई—मित्र दुकान पर लेते हुए रंगे हाथों तथा आरोपी श्री राकेश कुमार मीणा द्वारा परिवादी का पेण्डिंग कार्य कराये जाने की एवज में रिश्वत राशि की मांग करने पर दोनों आरोपिगणों को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। ट्रेप कार्यवाही के समय परिवादी श्री पहलवान सिंह का कार्य पेण्डिंग होना पाया गया। आरोपिगणों को उनकी आवाज का नमूना देने हेतु नोटिस दिये गये, जिसके प्रतिउत्तर में दोनों आरोपिगणों द्वारा स्वैच्छा से अपनी आवाज का नमूना नहीं देने बाबत् लिखित में देना आदि आरोपीगणों के उक्त कृत्य जुर्म धारा 7,7ए पी.सी. एक्ट संशोधित 2018 व 120बी आईपीसी का अपराध प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपी श्री राकेश कुमार पुत्र स्व० श्री रामगोपाल जाति मीणा उम्र 38 साल निवासी ग्राम खेरखेड़ा थाना घाटोली तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ राज० हाल रिजर्व पटवारी तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ राज० अतिरिक्त चार्ज हल्का पटवारी हल्का रमायदलपत तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ राज० व श्री समीर अंसारी पुत्र श्री रईस अंसारी जाति मुसलमान उम्र 24 वर्ष निवासी स्टेंट बैंक ऑफ इण्डिया के सामने, पार्वती कॉलोनी पिड़ावा जिला झालावाड़ राज० (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध जुर्म अंतर्गत धारा 7,7ए पी.सी. एक्ट संशोधित 2018 व 120बी आईपीसी का अपराध घटित पाये जाने पर उपरोक्त आरोपीगण के विरूद्ध उक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सी०पी०एस० राज० जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय;

(भवनी शंकर मीणा) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड।

## कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भवानी शंकर मीणा, अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधित) 2018 तथा धारा 120 बी. भारतीय दण्ड संहिता, अभियुक्त श्री राकेश कुमार पुत्र स्व0 श्री रामगोपाल मीणा, हाल रिजर्व पटवारी, तहसील पिडा़वा व अतिरिक्त चार्ज रमायदलपत, तहसील पिडा़वा, जिला झालावाड व श्री समीर अंसारी पुत्र श्री रईस अंसारी (प्राईवेट व्यक्ति) निवासी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के सामने, पार्वती कॉलोनी, पिडा़वा जिला झालावाड के विरूद्ध गठित होना पाया जाता है। अत: अपराध संख्या 320/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ एफ.आई.आर. नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 2799-2803

दिनांक 19.08.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
- 2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर।
- 3. जिला कलक्टर, जिला झालावाड्।
- 4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
- 5. अति. पुलिस अधीक्षक, भ्र0 नि0 ब्यूरो, झालावाड़।

पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।